Maria VIIIII Undia

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] No. 97]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2004/माघ 7, 1925 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2004/MAGHA 7, 1925

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2004

का.आ. 119(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 57) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 जनवरी, 2004 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जबसे उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[फा. सं. 23/23/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2004

S.O. 119(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Electricity (Amendment) Act, 2003 (57 of 2003), the Central Government hereby appoints the 27th January, 2004, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 23/23/2004-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.